उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या : 172/XIII-II/2011-51(5)/2005
देहरादून : दिनांक : ~~जुलाई~~, 2011
02 सितम्बर

S.A
0319

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के संबंध में समान मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2008 के अनुसार जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं में समन्वय करते हुए जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। उक्त एजेन्सी में जिला स्तर पर जिला जलागम विकास इकाईयों (DWDU) के कार्यों के मार्गदर्शन एवं समन्वय हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1216 /XIII-II/51(5)/2005 दिनांक 19दिसम्बर, 2008 द्वारा जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्तानुसार गठित समिति में आंशिक संशोधन/विस्तार करते हुए संबंधित जनपद के उपपरियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध को भी समिति में सदस्य के रूप में नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 23/XIII-II/36(05)/2009 दिनांक 23फरवरी, 2010 द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों को संबंधित जनपदों में जिला जलागम परियोजना प्रबंध इकाईयों (DWPMU) का सदस्य सचिव नामित किया गया था। तत्क्रम में वर्तमान में प्रत्येक जनपद में संबंधित उपपरियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध को संबंधित जनपदों की DWPMU का सदस्य सचिव नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. इसके अतिरिक्त समेकित जलागम प्रबंध कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत आगामी परियोजनाओं हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में वर्तमान में सम्मिलित विभागों के साथ–साथ जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अधीन जनपदों में कार्यरत प्रभागीय कार्यालयों/उप परियोजना निदेशकों को भी जलागम परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उनके दीर्घकालिक अनुभवों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था (P.I.A.) नामित किए जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. उक्त प्रस्तर–1 व 2 में उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19दिसम्बर, 2008 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23फरवरी, 2010 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास।

क्रमशः...

संख्या : 172(1)/XIIII-II/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा (वन, ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. विभागाध्यक्ष (वन, कृषि, ग्राम विकास, पंचायतीराज, लघु सिंचाई), उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त उपपरियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम. एच. खान)
सचिव।